अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 103/2026

साईबर थाना कांड सं0 22/2025

गौरव कुमार बनाम बिहार राज्य।

09.03.2026 आवेदक **गौरव कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री गुंजन कुमार के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 में प्रमाणपत्र दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक अभिषेक कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 27.10.2025 को सुबह 11:37 बजे दिन में सूचक के एचडीएफएसी बैंक शाखा मुंगेर के खाता सं0 99999955292417 से चार लाख रुपए कट गया तथा इसका न तो मैसेज आया और न ही ओटीपी आया तथा सूचक के मोबाइल में नेट बैंकिंग भी नहीं था। इसके पहले अभय कुमार सिन्हा ने सूचक ने खाता खुलवाया। अभय कुमार सिन्हा ने सूचक को नेट बैंकिंग के लिए बैंक बुलाया तथा गौरव कुमार (आवेदक) बैंक कर्मी से डेविड कार्ड के लिए अप्लाई किया, जिसका दो सौ रुपए चार्ज लगा। डेविड कार्ड सूचक के घर आने पर सूचक उसको लेकर बैंक गया, तो अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज चालू कर देंगे, लेकिन लगभग 10 दिनों से सूचक बैंक आता–जाता रहा। अभय कुमार सिन्हा ने सूचक को गौरव कुमार (आवेदक) के पास भेजा, लेकिन सूचक का एटीएम तथा पिन कोड आदि लिया, लेकिन नेट बैंकिंग चालू नहीं हुआ। इसी बीच दिनांक 23.10.2025 को सूचक ने खाता में 5,49,300/– रुपए जमा किया। दिनांक 27. 10.2025 के 11:35 बजे लॉग इन का प्रोसेस बैंक द्वारा किया गया, जबकि उस दिन बैंक बंद था, फिर समय 11:37 बजे सूचक ने आईफोन में लॉकिन कन्फर्मेशन का मैसेज आया तथा सूचक ने चार अंक का पिन सेट किया, तभी 11:51 बजे आईएमपीएस द्वारा मैसेज आया कि चार लाख रुपए सूचक के खाता से कट गया तथा वह पैसा SUKANTA BEBBARMA के खाता में ट्रांसफर हो गया। सूचक ने इसी जानकारी बैंक से दी, लेकिन इसके बाद सूचक के खाता को फ्रिज कर दिया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 318(4) बीएनएस तथा 66(डी) आई0टी0 एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का सूचक से भी कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी के परिशीलन से

लगातार

09.03.2026. स्पष्ट होता है कि आवेदक ने सूचक के मोबाइल आदि में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जिससे उसे अभियुक्त बनाया जा सके। आवेदक एचडीएफसी लाइफ का साधारण कर्मचारी है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया गया। सूचक भी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। सूचक की ओर से भी जमानत का कड़ा विरोध किया गया।

मांगा गया विचारण न्यायालय अभिलेख साथ में अद्यतन केस दैनिकी की छायाप्रति प्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से पाता हूँ कि प्राथमिकी के अनुसार, इस आवेदक पर जो कि एचडीएफसी बैंक शाखा मुंगेर के कर्मचारी के द्वारा अपने बैंक में सूचक का खाता खुलवाने तथा ब्रांच मैनेजर के निर्देश पर सूचक का नेट बैंकिंग चालू करवाने की बात कही गयी है और बाद में दिनांक 27.10.2025 को उनके मोबाइल में चार लाख रुपए कटने की बात आयी है और इस आवेदक पर अन्य अभियुक्त के मिलीभगत से सूचक के पैसे हड़प लेने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख अवलोकन से पाता हूँ कि कांड दैनिकी में इस आवेदक पर मात्र सूचक का बैंक में नेट बैंकिंग चालू करवाने का आरोप है। प्राथमिकी के अनुसार ही जो चार लाख रुपए सूचक के खाता से कटा है, वह किसी भी Sukanta Bebbarma के नाम से ट्रांसफर हुआ। कांड दैनिकी के पैरा 15 एवं 21 के अनुसार अनुसंधानकर्ता ने के द्वारा पैसा Sukanta Bebbarma Amarpur Gomti Tripura के खाता में ट्रांसफर होने की बात कही है। यह आवेदक सूचक के पैसे कटने का लाभुक (Beneficiary) नही है, जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है, वह Sukanta Bebbarma के खाता में हुआ है, जो इस आवेदन में आवेदक नहीं हैं। अब तक के अनुसंधान में आवेदक के पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का साक्ष्य नहीं आया है। आवेदक उक्त बैंक में बैंक कर्मचारी हैं, जिसके भागने की संभावना नहीं है। यद्यपि कि कांड दैनिकी में आवेदक के आपराधिक इतिहास का वर्णन नहीं है, लेकिन जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों तथा स्वच्छ आपराधिक इतिहास के कारण आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **गौरव कुमार** के तरफ से **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तार होने की स्थिति में** विद्वान

लगातार

09.03.2026. विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक का एक जमानतदार उसका निकटवर्ती संबंधी होगे।**
2. **आवेदक का एक जमानतदार सूचक के ही बैंक का ही होगा।**
3. **आवेदक इस बात का वचनपत्र देंगे कि वे अनुसंधान व विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(प्रवाल दत्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.03.2026.

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

(प्रवाल दत्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.03.2026.